

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 328/2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सिद्धांत जैन।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री अभि गोयल।

:: आदेश ::

26.11.2018

अभिलेख तलब किया जावे।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे। तब तक
पूर्व में पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—